

उत्तर प्रदेश पावर कारपोरेशन लिमिटेड
14 अशोक मार्ग, शक्ति भवन , लखनऊ

संख्या- 143 -विनियम एवं औस/पाकालि/11- 10 विनियम/88

दिनांक 04.11.11

कार्यालय ज्ञाप

उ० प्र० पावर कारपोरेशन लि० के निदेशक मण्डल द्वारा दिनांक 12.10.11 को सम्पन्न हुई अपनी बैठक में मद संख्या सत्तासी (59)/11 पर कारपोरेशन के कार्यालय ज्ञाप सं० 123-विनियम एवं औस/पाकालि/2010 - 10 विनियम/88 दिनांक 14.12.10 में निहित प्राविधानों की अनुरूपता में सहायक अभियन्ता (वैद्युत एवं यांत्रिक/जानपद) एवं समकक्ष अधिकारियों के स्थायीकरण हेतु निम्नवत् समिति के गठित करने का अनुमोदन प्रदान किया गया :-

पदनाम	स्थायीकरण हेतु समिति
सहायक अभियन्ता (वैद्युत एवं यांत्रिक/जानपद) एवं समकक्ष अधिकारी	1. निदेशक (का० प्र० एवं प्रशासन) 2. कारपोरेशन के अध्यक्ष एवं प्रबन्ध निदेशक द्वारा नामित कारपोरेशन के अधीक्षण अभियन्ता अथवा उससे उच्च स्तर के दो अधिकारी

निदेशक मण्डल की आज्ञा से,
नवनीत सहगल
अध्यक्ष एवं प्रबन्ध निदेशक

पृष्ठांकन संख्या 143(i)-विनियम एवं औस/पाकालि/11- तददिनांक

प्रतिलिपि निम्नलिखित को कृपया सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित :-

1. प्रमुख सचिव (ऊर्जा), उ० प्र० शासन, बापू भवन, लखनऊ।
2. अध्यक्ष एवं प्रबन्ध निदेशक, उ० प्र० पावर कारपोरेशन लि०, शक्ति भवन, लखनऊ के सलाहकार।
3. संयुक्त प्रबन्ध निदेशक, उ० प्र० पावर कारपोरेशन लि०, शक्ति भवन, लखनऊ के निजी सचिव।
4. प्रबन्ध निदेशक, उ० प्र० राज्य विद्युत उत्पादन निगम लि०/उ० प्र० जल विद्युत निगम लि०/उ० प्र० पावर ट्रांसमिशन कारपोरेशन लि०, लखनऊ।
5. प्रबन्ध निदेशक, डिस्काम/केस्को।
6. समस्त निदेशकगण, उ० प्र० पावर कारपोरेशन लि०, शक्ति भवन, लखनऊ के निजी सचिव।
7. मुख्य महाप्रबन्धक (लेखा प्रशासन), उ० प्र० पावर कारपोरेशन लि०, शक्ति भवन, लखनऊ।
8. अपर सचिव -1/2/3/अरा०/सलाहकार (औस/काविनी), उ० प्र० पावर कारपोरेशन लि०, शक्ति भवन, लखनऊ।
9. उप सचिव (अधि०प्र०-07), उपप्रकालि, शक्ति भवन, लखनऊ को उनकी पत्रावली सं० -5 अ०प्र० -07/09 हेतु।
10. कम्पनी सचिव/बैठक सहायक को उनके पत्रांक 777/पाकालि/बैठक (87) /2011 दि० 02.11.11 के संदर्भ में।
11. अधिशासी अभियन्ता (वेबसाइट) को कारपोरेशन की वेबसाइट पर लोड किये जाने हेतु।


(जावेद अहमद)
अनु सचिव